

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-6/निदे०-धारा 275(1)-06-01/2017-

प्रति,

प्रेम सिंह मीणा,
संयोजक के सचिव।

प्रति,

महालेखाकार, बिहार
ईन्दरचन्द्र पटेल मार्ग पटना।

पटना, दिनांक- 22.02.17

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के बहुमुखी विकास के लिए शत प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त याचनावार स्वीकृत राशि (i) कृषि- हॉर्टीकल्चर- सेटिंग अप नर्सरीज ऑफ फ्रूट्स, फ्लोवरर्स, वेजीटेबल्स इन्क्लूडिंग पॉलीहाउस ग्रीन हाउस फार्मिंग हेतु ₹115.00 लाख (ii) आईटी इन्फ्रस्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर टीएसपी मॉनिटरिंग हेतु ₹18.00 लाख (iii) कन्डक्ट रिसर्च ऑन स्पेशलफिक ट्राइबल इश्यूज. सर्वे ऑफ एनटीए एट प्रोजेक्ट प्रीपैरेशन हेतु ₹20.00 लाख अर्थात् कुल ₹153.00 लाख (एक करोड़ तिरपन लाख) मात्र मलयन विवरणों के अनुसार स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2- अनु० जनजाति के लिए भारत व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उपबधित राशि स कन्ड याचनावार योजना मांग सं०-44 के अन्तर्गत आय-व्ययक शीर्ष 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष -02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण -बहु शीर्ष-102-आर्थिक विकास-उपशीर्ष 0101-अनुसूचित जनजातियों का बहुमुखी विकास- संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त विपत्र कोड-P2225021020101-विषय शीर्ष 2701-लघु कार्य- राज्य योजना स्कीम कोड SST- 5462-पीएफएएमएस कोड- TSP2 मद में कुल ₹153.00 लाख विकल्पित्य प्राप्त।

3- विषयवर्तित योजना (i) एवं (ii) के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी सम्बन्धित जिला पदाधिकारी होंगे।

4- विषयवर्तित योजना (iii) के लिए निकासी पदाधिकारी उप निदेशक, मुख्यालय, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, पटना होंगे। निकासी पदाधिकारी एकमुश्त राशि को निकालकर मिशन निदेशक बिहार महादलित विकास मिशन, पटना के पीएलए खाता PLA-264 में उपलब्ध करायेगें।

5- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेगें। व्ययन पदाधिकारी राशि का नियमानुसार व्यय करेगें तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेगें।

6- वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं में से जनजातीय कार्य मंत्रालय पत्रांक-11015/4(4)/2016-Grants, दिनांक-22.02.2017 एवं पत्रांक-11015/4(04), 2016-Grant, दिनांक-27.02.2017 द्वारा स्वीकृत 1467.59 लाख के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹153.00 लाख को स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति दी जा रही है।

7- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जायेगी।

8- भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्रांक-11015/4(4)/2016-Grants, दिनांक-22.02.2017 एवं पत्रांक-11015/4(04)/2016-Grant, दिनांक-27.02.2017 तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायगा। विषयांकित योजना के अन्तर्गत राशि का व्यय किया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

9- जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निदेश के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही कुल लाभान्वितों की संख्या का कम से कम 30 प्रतिशत महिला लाभान्वितों से आच्छादित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

10- सभी संबंधित जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की विषयांकित योजना के आलोक में राशि का व्यय किया जाय, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ली गयी योजनाओं एवं लाभान्वितों का डूप्लीकेशन न हो।

11-स्वीकृति प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12-संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

13-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव।

जापांक -6/निदे0-धारा 275(1)-06-01/2017-122 पटना, दिनांक-27.03.17
प्रतिलिपि :- सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

जापांक -6/निदे0-धारा 275(1)-06-01/2017-122 पटना, दिनांक-27.03.17

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/ सभी सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/ सभी सम्बन्धित उपविकास आयुक्त/ उप निदेशक(मु0)/ सभी सम्बन्धित प्रमंडलीय उपनिदेशक/कल्याण/ सभी सम्बन्धित जिला कल्याण पदाधिकारी/ अवर सचिव/ सहायक निदेशक/ लेखा शाखा/ बजट शाखा/ सांख्यिकी कोषांग/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6(डी0)/ 8(डी0) अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।


जापांक -6/निदे0-धारा 275(1)-06-01/2017-122 पटना, दिनांक-27.03.17

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्रांक-11015/4(4)/2016-Grants, दिनांक-22.02.2017 एवं पत्रांक-11015/4(04)/2016-Grant, दिनांक-27.02.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के बहुमुखी विकास के लिए शत प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त योजनावार स्वीकृत राशि की विवरणी (राशि लाख में)

विषय शीर्ष- 2701, लघु कार्य,		विपत्र कोड- P2225021020101					
क्रमांक	जिला का नाम	2011 जनगणना के अनुसार जिलावार अनु० जनजातियों की जनसंख्या	हॉर्टीकल्चर- सेटिंग अप नर्सरीज ऑफ फूट्स, फ्लावर्स, वेजीटेबल्स इन्क्लूडिंग पॉलीहाउस, ग्रीन हाउस फार्मिंग (प्रति ईकाई दर 0.45 लाख)		आई०टी० इक्यूपमेंट सपोर्ट फॉर टी०एस०पी० मॉनिटरिंग	कन्डक्ट रिसर्च ऑन स्पेशिफिक ट्राईबल इश्यूज: सर्वे ऑफ एस०टी० एंड प्रोजेक्ट प्रीपरेशन	योग (5+6+7)
			किसानों की संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सारण	36786	8	3.60	1.00	0.00	4.60
2	गोपालगंज	60807	12	5.40	1.00	0.00	6.40
3	कैमूर	57981	12	5.40	1.00	0.00	6.40
4	जमुई	78793	16	7.20	1.00	0.00	8.20
5	रोहतास	31650	6	2.70	1.00	0.00	3.70
6	बौंका	90432	18	8.10	1.00	0.00	9.10
7	भागलपुर	67180	14	6.30	1.00	0.00	7.30
8	सिवान	87000	18	8.10	1.00	0.00	9.10
9	बक्सर	26824	5	2.25	1.00	0.00	3.25
10	पूर्णियां	139490	28	12.60	1.00	0.00	13.60
11	कटिहार	179971	37	16.65	1.00	0.00	17.65
12	किशनगंज	64224	13	5.85	1.00	0.00	6.85
13	अररिया	38848	8	3.60	1.00	0.00	4.60
14	भोजपुर	13977	3	1.35	1.00	0.00	2.35
15	गया	3098	1	0.45	1.00	0.00	1.45
16	नवादा	2045	1	0.45	1.00	0.00	1.45
17	प० चम्पारण	250046	51	23.20	1.00	0.00	24.20
18	मुंगेर	21404	4	1.80	1.00	0.00	2.80
19	उप निदेशक (मु०)	0.00		0.00	0.00	20.00	20.00
	कुल योग	1250556	255	115.00	18.00	20.00	153.00


27.3.17
सचिव

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति
कल्याण विभाग

ज्ञापक-192 दिनांक 22.03.17 का अनुलग्नक

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-६/निदे०-धारा 275(1)-०६-०१/२०१७-

138

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
सारण/गोपालगंज/कैमूर/जमुई/
रोहतास/बांका/भागलपुर/सिवान/
बक्सर/पूर्णियां/कटिहार/किशनगंज/
अररिया/भोजपुर/गया/नवादा/
प० चम्पारण/मुंगेर।
उप निदेशक (मुख्यालय),
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 28.03.17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के बहुमुखी विकास के लिए शत प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त योजनावार स्वीकृत राशि (i)कृषि-हॉर्टीकल्चर-सेटिंग अप नर्सरीज ऑफ फूट्स, फलावर्स, वेजीटेबल्स इन्क्लूडिंग पॉलीहाउस, ग्रीन हाउस फार्मिंग हेतु ₹115.00 लाख (ii)आई०टी० इक्यूपमेंट सपोर्ट फॉर टी०एस०पी० मॉनिटरिंग हेतु ₹18.00 लाख (iii)कन्डक्ट रिसर्च ऑन स्पेशिफिक ट्राईबल इश्यूज: सर्वे ऑफ एस०टी० एंड प्रोजेक्ट प्रीपरेशन हेतु ₹20.00 लाख अर्थात कुल ₹153.00 लाख (एक करोड़ तिरपन लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने स्वीकृत्यादेश सं०-122 दिनांक-27.03.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के बहुमुखी विकास के लिए शत प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त योजनावार स्वीकृत राशि (i)कृषि-हॉर्टीकल्चर-सेटिंग अप नर्सरीज ऑफ फूट्स, फलावर्स, वेजीटेबल्स इन्क्लूडिंग पॉलीहाउस, ग्रीन हाउस फार्मिंग हेतु ₹115.00 लाख (ii)आई०टी० इक्यूपमेंट सपोर्ट फॉर टी०एस०पी० मॉनिटरिंग हेतु ₹18.00 लाख (iii)कन्डक्ट रिसर्च ऑन स्पेशिफिक ट्राईबल इश्यूज: सर्वे ऑफ एस०टी० एंड प्रोजेक्ट प्रीपरेशन हेतु ₹20.00 लाख अर्थात कुल ₹153.00 लाख (एक करोड़ तिरपन लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तदालोक में संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2- अनु० जनजाति के लिए भारत वय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17के लिए उपबंधित राशि से केन्द्रप्रायोजित योजना मांग सं०-44 के अन्तर्गत आय-व्ययक शीर्ष 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष -02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण -लघु शीर्ष-102-आर्थिक विकास-उपशीर्ष 0101-अनुसूचित जनजातियों का बहुमुखी विकास- संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त विपत्र कोड-P2225021020101-विषय शीर्ष 2701-लघु कार्य- राज्य योजना स्कीम कोडSST-5462-पी०एफ०एम०एस० कोड-TSP2मद में कुल ₹153.00 लाख विकलनीय होगा।


3- विषयांकित योजना (i)एवं (ii) के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी सम्बन्धित जिला पदाधिकारी होंगे।

4- विषयांकित योजना (iii)के लिए निकासी पदाधिकारी उप निदेशक, मुख्यालय, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, पटना होंगे। निकासी पदाधिकारी एकमुश्त राशि को निकालकर मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना के पी०एल० खाता PLA-264 में उपलब्ध करायेगें।



- 5- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे। व्ययन पदाधिकारी राशि का नियमानुसार व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेगे।
- 6- वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं में से जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्रांक-11015/4(4)/2016-Grants, दिनांक-22.02.2017 एवं पत्रांक-11015/4(04)/2016-Grant, दिनांक-27.02.2017 द्वारा स्वीकृत 1467.59 लाख के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹153.00 लाख की स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति दी जा रही है।
- 7- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जायेगी।
- 8- भारत सरकार,जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्रांक-11015/4(4)/2016-Grants, दिनांक-22.02.2017 एवं पत्रांक-11015/4(04)/2016-Grant, दिनांक-27.02.2017 तथा राज्य एवंकेन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायगा। विषयांकित योजना के अन्तर्गत राशि का व्यय किया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।
- 9- जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निदेश के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही कुल लाभान्वितों की संख्या का कम से कम 30 प्रतिशत महिला लाभान्वितों से आच्छादित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 10- सभी संबंधित जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की विषयांकित योजना के आलोक में राशि का व्यय किया जाय,साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ली गयी योजनाओं एवं लाभान्वितों का डूप्लीकेशन न हो।
- 11-संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।
- 12-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दिया जाय


विश्वासभाजन


(वीरेन्द्र कुमार) 3/11/17
निदेशक

ज्ञापांक -6/निदे0-धारा 275(1)-06-01/2017-133 पटना, दिनांक-28.03.17
प्रतिलिपि :-सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक -6/निदे0-धारा 275(1)-06-01/2017-133 पटना, दिनांक-28.03.17
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/सभी सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/ सभी सम्बन्धित उपविकास आयुक्त/उप निदेशक(मु0)/ सभी सम्बन्धित प्रमंडलीय उपनिदेशक,कल्याण/अवर सचिव/सहायक निदेशक/लेखा शाखा/बजट शाखा/सांख्यिकी कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6(डी0) /8(डी0) अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
निदेशक

ज्ञापांक -6/निदे0-धारा 275(1)-06-01/2017-133 पटना, दिनांक-28.03.17
प्रतिलिपि :-अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्रांक-11015/4(4)/2016-Grants, दिनांक-22.02.2017 एवं पत्रांक-11015/4(04)/2016-Grant, दिनांक-27.02.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक 3/11/17

वित्त वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के बहुमुखी विकास के लिए शह प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त योजनावार आवंटित राशि की विवरणी (राशि लाख में)

विषय शीर्ष- 2701, लघु कार्य,		विपत्र कोड- P2225021020101					
क्र.सं.	जिला का नाम	2011 जनगणना के अनुसार जिलावार अनु० जनजातियों की जनसंख्या	हॉर्टीकल्चर- सेटिंग अप नर्सरीज ऑफ फ्रूट्स, फलावर्स, वेजीटेबल्स इन्क्लूडिंग पॉलीहाउस, ग्रीन हाउस फार्मिंग (प्रति ईकाई दर 0.45 लाख)		आईटी0 इक्विपमेंट सपोर्ट फॉर टी0एस0पी0 मॉनिटरिंग	कन्डक्ट रिसर्च ऑन स्पेशिफिक ट्राइबल इश्यूज: सर्वे ऑफ एस0टी0 एंड प्रोजेक्ट प्रीपरेशन	योग (5+6+7)
			किसानों की संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सारण	36786	8	3.60	1.00	0.00	4.60
2	गोपालगंज	60807	12	5.40	1.00	0.00	6.40
3	कैमूर	57981	12	5.40	1.00	0.00	6.40
4	जमुई	78793	16	7.20	1.00	0.00	8.20
5	गढ़वा	31650	6	2.70	1.00	0.00	3.70
6	बौंका	90432	18	8.10	1.00	0.00	9.10
7	भागलपुर	67180	14	6.30	1.00	0.00	7.30
8	सिवांच	87000	18	8.10	1.00	0.00	9.10
9	बक्सर	26824	5	2.25	1.00	0.00	3.25
10	पूर्णियां	139490	28	12.60	1.00	0.00	13.60
11	कटिहार	179971	37	16.65	1.00	0.00	17.65
12	किशनगंज	64224	13	5.85	1.00	0.00	6.85
13	भररिया	38848	8	3.60	1.00	0.00	4.60
14	भोजपुर	13977	3	1.35	1.00	0.00	2.35
15	गया	3098	1	0.45	1.00	0.00	1.45
16	नवादा	2045	1	0.45	1.00	0.00	1.45
17	पठ चम्पारण	250046	51	23.20	1.00	0.00	24.20
18	मुंगेर	21404	4	1.80	1.00	0.00	2.80
19	उप निदेशक (मु०)	0.00		0.00	0.00	20.00	20.00
	कुल योग	1250556	255	115.00	18.00	20.00	153.00

(एक करोड़ तिरपन लाख मात्र)

आपका 133

दिनांक 28.03.12

का अनुलग्नक

निदेशक
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति
कल्याण विभाग